325

433

न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

रा0प्र0क्र0 / /निगरानी / अ–6अ / 2012–2013

R - 1666 - -III/13

1.विनोद कुमार पिता शंकरलाल जयसवाल नि0 ग्राम पो0 जयसिंहनगर
2.श्रीमती केतकीबाई धर्मपत्नी रामदयाल गुप्ता नि0 ग्राम पो0 गिरूईबडी
3.श्रीमती आशा धर्मपत्नी नीलकन्ठ गुप्ता नि0 ग्रा0 पो0 चितरॉव
तीनो का थाना एवं तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म0प्र0

.......**निगरानीकर्तागण / आवेदकगण**

बनाम्

विजय कुमार पिता मदनलाल जयसवाल नि0ग्राम पो0 जयसिंहनगर थाना व तहसील जयसिंहनगर **जिला–शहडोल म0प्र0** ....**गैरनिगराकार / अनावेदक**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50
म0प्र0 भू रा0 सं0 1959
निगरानी निर्णय विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय शहडोल जिला शहडोल म0प्र0 के रा0प्र0क्र0 / 60 / निगरानी / अ–6अ / 2011–2012 निर्णय दिनांक 31.01.2013 से व्यथित होकर

मान्यवर,

निगरानी पेश कर विनय है कि–

1. यह कि मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि शंकरलाल एवं मदनलाल ग्राम छतेरी, जिला बनारस उ0प्र0 के मूल निवासी है। वर्ष 1960–1961 मे दोनो ग्राम जयसिंहनगर मे बहन फूलकुमारी के यहॉ रहकर सम्मिलित व्यापार करने लगे। शंकरलाल का पुत्र निगरानीकर्ता क0–1 तथा मदनलाल का पुत्र अनावेदक गैरनिगराकार है। शंकरलाल व मदनलाल दोनो सम्मिलित व्यापार की कमाई से ग्राम जयसिंहनगर प0ह0 जयसिंहनगर तहसील जयसिहनगर जिला–शहडोल म0प्र0 स्थित भूमि नंबर 493 / 1 जिसका बाद मे बटा नंबर बदलकर 493 / 3 रकबा 0.15ए0 यानी 0.061हे0 भूमि अर्जित किये। शंकरलाल की मृत्यु वर्ष 1984 मे हो चुकी है, और मदनलाल मौजूद है। संयुक्त कमाई से अर्जित उक्त भूमि का पट्टा मदनलाल पढा लिखा एवं चतुर चालाक व्यक्ति होने से अपने पुत्र गैरनिगराकार के नाम बनवा लिया। निगरानीकर्ता क0–1 के पिता शंकरलाल की मृत्यु के एक वर्ष बाद सन् 1985 मे गैरनिगराकार व्दारा मान0 न्याया0 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वास्ते जिला न्यायाधीश शहडोल के यहॉ वर्णित भूमि के स्वत्व घोषणा एवं अंश भाग मे निगरानीकर्ता क0–1 के कच्चा मकान पर अधिपत्य प्राप्त करने का सिविल दावा गैरनिगराकार प्रस्तुत किया। व्यवहार बाद क0–11अ / 1985 मे पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.1989 *पी–1* के चरण–23 मे विनिश्चित किया गया कि–––***"वादी की ओर से यह स्थापित नही किया गया है, कि बाद भूमि एवं उस पर बने हुये मकान संयुक्त परिवार की सम्पति न होकर वादी की स्वअर्जित सम्पति है इसके विपरीत मदनलाल और शंकरलाल का संयुक्त परिवार होना एवं संयुक्त आय से भूमि खरीद की जाना***

(डी.पी.तिवारी)
एडवोकेट
जयसिंहनगर
क्र नं - 1069/98

विनोद केतकी आशा गुप्ता

(325)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–1666-III / 13** जिला–शहडोल

विनोद कुमार / विजय कुमार

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रकरण क्रमांक 60 / निगरानी / अ6अ / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	